



राज्य, ज. प्र. सं. ४५५/प्र. वि. ४४४  
साहसंख्या नं० ३५५० पी०-४१  
साहसंख्या २ पोस्ट एंटे कन्सिशनल री

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रकाशक

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 जुलाई, 1998

श्रावण 5, 1920 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1413/सतह वि-1-1-(क) 20/1998

लखनऊ, 27 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विषय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 25 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1998)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 से 5 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगी जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम नियत करे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश  
ऐक्ट संख्या 15  
एन् 1948 की  
धारा 3-क का  
संशोधन

2- उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-क में उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द "चालीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पचास प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "छत्तीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पैंतीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ग-1) में शब्द "बीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पच्चीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (घ) में शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (ङ) में शब्द "आठ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

धारा 3-घ का  
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "छत्तीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पैंतीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) में शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(तीन) विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे किसी माल के सन्वन्ध में, विक्रय घन पर कर के स्थल का परिष्कार कर सकती है।"

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायगी।

धारा 3-ङ का  
निकाल जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3-ङ निकाल दी जायगी।

धारा 3-च का  
संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3-च में, उपधारा (1) में शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

धारा 4-क का  
संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 4-क में,—

(क) उपधारा (2-ख) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1992 को बढ़ाया गया समाप्त जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि असमाप्त अवधि की संगणना करने में ऐसी अवधि को, जिसके दौरान किसी न्यायालय या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण से सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के कारण उत्तराधिकारी निर्माता का उत्पादन बन्द रहता है, निकाल दिया जायगा।"

(ख) उपधारा (3) में शब्द "किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है" के स्थान पर शब्द "किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है या ऐसे पावता प्रमाण-पत्र को जारी करने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि है" रख दिये जायेंगे, और 13 सितम्बर, 1985 को रखे गये समाप्त जायेंगे।

(ग) स्पष्टीकरण (2) में, खण्ड (क) में,—

(एक) शब्द "या दुरुपयोग के लिये अर्जित" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) अन्त में सेमीकोलन और शब्द "या" के स्थान पर कोलन रख दिया जायगा; और

(तीन) अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यह सिद्ध करने का भार कि ऐसी मशीनरी संयंत्र, उपस्कर, साधन या संघटकों का भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में उपयोग नहीं किया गया है या इस धारा के अधीन लाने

प्राप्त करने के लिये उनके मूल्य को स्थिर पूंजी विनिधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, नई इकाई पर होगा ; या

(ब) स्पष्टीकरण (4) में,—

(एक) शब्द "में विनिधान" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "के मूल्य" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "न तो प्रयोग में लाये गए हों, न ही उसमें प्रयोग में लाये जाने के लिये अर्जित किये गए हों" के स्थान पर शब्द "प्रयोग में न लाये गये हों" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (क) के उपखण्ड (चार) में शब्द "उस अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द "उस अवधि के दौरान" रख दिये जायेंगे ; और

(चार) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1990 को बड़ाया गया समझा जायगा,

अर्थात् :—

"(घ)—यदि किसी इकाई ने, विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन में से दो या अधिक मद के लिए स्थिर पूंजी विनिधान किया है किन्तु जब प्रत्येक ऐसे मद में किये गये स्थिर पूंजी विनिधान का अभिविषय न किया जा सकता हो तो इकाई द्वारा यथा प्रस्तुत स्थिर पूंजी विनिधान के अवशिष्ट को स्वीकार किया जायगा।"

(ङ) विद्यमान स्पष्टीकरण (6) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1990 को रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :—

(6) इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "आधारमूल उत्पादन" का तात्पर्य,—

(क) अधिष्ठापित वापिक उत्पादन क्षमता का ग्रंसी प्रतिशत;

(ख) पूर्ववर्ती पांच कृषिक क्रम निर्धारण वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन या यदि इकाई में उत्पादन पांच वर्षों से कम अवधि का है तो पूर्ववर्ती क्रम निर्धारण वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन;

इतम से जो भी अधिक हो, से है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली किसी इकाई ने ऐसी सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण नहीं किया हो वहाँ उस इकाई के आधारमूल उत्पादन का अवधारण उन वस्तुओं, जिनके सम्बन्ध में विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण किया गया है, के उत्पादन के आधार पर किया जायगा ;

अप्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ स्थिर पूंजी विनिधान को अवधारित करने के लिये किसी निश्चित अवधि में किये गये विनिधान एक साथ जोड़े जाते हैं वहाँ विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में प्रयोज्य किये गये स्थिर पूंजी विनिधान के दिनांक के ठीक पूर्व के उत्पादन के आधार पर आधारमूल उत्पादन अवधारित किया जायगा।"

7—मूल अधिनियम की धारा 4-कक में शब्द "विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "विज्ञप्ति द्वारा" ऐसे किसी दिनांक से जो 8 जुलाई, 1996 के पूर्व का न हो" रख दिया जायगा।

धारा 4-कक का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8-ख में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "इच्छुक निर्माताओं का" के स्थान पर शब्द "कतिपय मामलों में" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी,

(1) कोई व्यक्ति, जो एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं को विक्री के लिए माल का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का इच्छुक हो, या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति

धारा 8-ख का संशोधन

द्वारा विनिर्दिष्ट करे एक वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक मूल की बिक्री किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में व्यापार स्थापित करने इच्छुक हो, इस बात के होते हुए भी कि उसको धारा 8-क के अधीन रजिस्टर कराने के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है, कर निर्धारक अधिकारी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, अनन्तिम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।”

**धारा 8-घ का संशोधन**

9—मूल अधिनियम की धारा 8-घ में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

“(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति, भुगतान या निर्वहन करते समय उस व्यक्ति को, जिसके विल या वीजक ऐसी कटौती की जाय, एक प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी निर्धारित की जाय, देगा।

(4-क) सविदाकार या उप-सविदाकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसे प्रपत्र में, ऐसे भुगतान के विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें ऐसी रीति से प्रमाणित करेगा, जैसी निर्धारित की जाय किन्तु कर निर्धारक अधिकारी स्वविवेकानुसार कारणों को अभिलिखित करके ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ा सकता है।

**विज्ञप्ति का संशोधन**

10--विज्ञप्ति संख्या ध्या0 क0-2-1947/स्यारह-9(7)-97, दिनांक 26 जून, 1997 1 फरवरी, 1985 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

**वेधोक्ति का संशोधन**

11--(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व जारी की गई कोई विज्ञप्ति या कृत कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थदण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश किया हो या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थदण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखण्डित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय, वहां उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यवाही का कोई पक्ष या व्यापार कर कमिश्नर 31 दिसम्बर, 1998 तक ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय को कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

(3) यथास्थिति कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, कोई सुधार कर सकता है, जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया गया हो तो उपरोक्त निस्तारण ऐसी अवधि के बाहर भी किया जा सकता है :

अन्यतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई सुधार जिसका प्रभाव कर निर्धारण, अर्थदण्ड या मांगों को बढ़ाना हो, तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने ऐसा करके अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

आज्ञा से,  
योगेन्द्र राम लिपारि  
प्रमुख सचिव

No. 1413 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-20-1998

Dated Lucknow, July 27, 1998

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor/President on July 25 1998.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) ACT, 1998  
(U.P. ACT NO. 26 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 1998.

Short title and commencement

(2) Sections 2 to 5 shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and the remaining provisions shall come into force at once.

In section 3-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1),—

Amendment of section 3-A of U. P. Act no. 15 of 1948

(a) in clause (b) for the words "forty per cent", the words "fifty per cent" shall be substituted;

(b) in clause (c) for the words "twenty six per cent", the words "thirty five per cent" shall be substituted;

(c) in clause (c-1) for the words "twenty per cent" the words "twenty five per cent" shall be substituted;

(d) in clause (d) for the words "fifteen per cent" the words "twenty per cent" shall be substituted;

(e) in clause (e) for the words "eight per cent" the words "ten per cent" shall be substituted.

Amendment of section 3-D

In section 3-D of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (a) for the words "twenty six per cent" the words "thirty five per cent" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii) of clause (b) for the words "fifteen per cent" the words "twenty per cent" shall be substituted;

(iii) for the existing proviso, the following proviso, shall be substituted, namely:—

"Provided that the State Government may, by notification, modify the point of tax on the turnover in respect of any of such goods."

(b) sub-section (4) shall be omitted.

Omission of section 3-E

Section 3-E of the principal Act, shall be omitted.

Amendment of section 3-F

In section 3-F of the principal Act, in sub-section (1), for the words "fifteen per cent" the words "twenty per cent" shall be substituted.

In section 4-A of the principal Act,—

Amendment of section 4-A

(a) in sub-section (2-B), after second proviso, the following proviso shall be inserted and be deemed to have been inserted on April 1, 1992, namely:—

"Provided also that in computing the unexpired portion of the period, the period during which the production of successor

manufacturer remains closed on account of an order passed by any Court or Board for Industrial and Financial Reconstruction or Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction shall be excluded."

(b) in sub-section (3), for the words "in any manner whatsoever" the words "in any manner whatsoever or there is any legal or factual error in issuing such Eligibility Certificate" shall be substituted and be deemed to have been substituted on September 13, 1985.

(c) in Explanation (2), in clause (a);

(i) the words "or acquired for use" shall be omitted;

(ii) in the end for semicolon and words "; or" the colon " shall be substituted; and

(iii) the following proviso shall be inserted in the end, namely :—

"Provided that the onus of proving that such machinery, plant, equipment, apparatus or components have not been used in or the value thereof have not been included in fixed capital investment for obtaining benefit under this section by any other factory or workshop in India, shall be on the new unit; or"

(d) in Explanation (4),—

(i) for the words "investment in" wherever occurring the words "value of" shall be substituted;

(ii) the words "or acquired for use" shall be omitted;

(iii) in sub-clause (iv) of clause (a) of the proviso for the words "for the period" the words "during the period" shall be substituted; and

(iv) after clause (c) of the proviso the following clause shall be inserted and be deemed to have been inserted on April 1, 1990, namely :—

"(d) if a unit has made fixed capital investment under two or more heads of expansion, diversification, modernisation and backward integration but fixed capital investment made under each such head is not as ascertainable, then the break-up of fixed capital investment as furnished by the unit will be accepted."

(e) for the existing Explanation (6), the following Explanation shall be substituted and be deemed to have been substituted on April 1, 1990, namely :—

"(6) for the purposes of this section the expression "base production" means,—

(a) eighty per cent of the installed annual production capacity; or

(b) maximum production achieved during any one of the preceding five consecutive assessment years or if the unit were in production for less than five years, the maximum production achieved during any one of the preceding assessment years whichever is higher :

Provided that where a unit manufacturing more than one goods has not undertaken expansion or modernisation in respect of all such goods, its base production will be determined on the basis of production of goods in respect of which expansion or modernisation has been undertaken.

Provided further that where investment made during certain period is clubbed together for the purpose of determining the fixed capital investment, the production immediately prior to the date on which such investment was

started to be made in respect of expansion or modernisation shall be taken into account for determining the base production."

7. In section 4-AAA of the principal Act, for the words "by notification" the words and figures "with effect from a date not earlier than July 8, 1996, by notification" shall be substituted.

8. In section 8-B of the principal Act,—

(a) in the marginal heading for the words "for intending manufacturers" the words "in certain cases" shall be substituted;

(b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) Any person intending to establish a business in Uttar Pradesh, for the purpose of manufacturing goods for sale of a value exceeding one lakh rupees or any person as may be specified by the State Government by notification intending to establish a business in Uttar Pradesh for the purpose of selling goods of a value exceeding one and half lakh rupees in a year may, notwithstanding that he is not required to apply for registration under section 8-A, make an application to the assessing authority in such form and manner as may be prescribed, for provisional registration."

9. In section 8-D of the principal Act, for sub-section (4) the following sub-sections shall be substituted, namely :—

"(4) The person making such deductions under sub-section (1) or sub-section (2) shall, at the time of payment or discharge furnish to the person from whose bills or invoice such deduction is made a certificate in such form and manner and within such period as may be prescribed.

"(4-A) The person responsible for making the payment to the contractor or sub-contractor shall submit such return of such payments at such intervals, within such period, in such form and verified in such manner, as may be prescribed, but the assessing authority may in its discretion, for reasons to be recorded, extend the date for the submission of the return by such person."

10. Notification no. T.T.-2-1947/XI-9(7)-97, dated June 26, 1997 shall be deemed to have come into force on February, 1985.

11. (1) Notwithstanding anything in any judgement, decree or order of any court or authority, any notification issued or anything done or any action taken before the commencement of this section which conforms to the provisions of the principal Act as amended by this Act shall be deemed to be and always to have been valid and lawful as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(2) Where before the commencement of this section any authority or court, in any proceeding made any assessment, levy or collection of any tax or passed any order imposing any penalty or making any other demand under the principal Act or passed any order modifying, setting aside or quashing (wholly or in part), such assessment, levy, collection, penalty or demand and such assessment or other order becomes inconsistent with the provisions of the principal Act as amended by this Act then, subject to the provisions of sub-section (3), any party to the proceeding or the Commissioner of Trade Tax may by December 31, 1998, make an application to such authority or Court for review of the assessment or order and thereupon such authority or Court may review the proceeding and make such order, varying or revising the order previously made, as may be necessary to give effect to the provisions of the principal Act as amended by this Act.

(3) The assessing, appellate or revising authority, as the case may be, may within the period of one year from the commencement of this section or within the period specified in section 22 of the principal Act, whichever

Amendment of section 4-AAA

Amendment of section 8-B

Amendment of section 8-D

Amendment of notification

Validation

expires later, make any rectification in any order passed by it where such rectification becomes necessary in consequence of the amendment of the principal Act :

Provided that where an application under sub-section (2) has been made, it can be disposed of even beyond such period :

Provided further that no such rectification which has the effect of enhancing the assessment, penalty or other dues, shall be made unless the authority concerned has given notice to the dealer or person concerned of his intention to do so and has allowed him a reasonable opportunity of being heard.

By order,  
YOGENDRA RAM TRIPATHI  
Pramukh Sachiv.